BUSINESS STANDARD HINDI, Delhi, 23.10.2017
Page No. 11, Size:(4.56)cms X (18.19)cms.

श्रमिकों के वेतन के लिए पैन कार्ड

केरल उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि नियोक्ताओं को सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिकों के वेतन का भुगतान श्रमिक संगठनों के जरिये केवल बैंक खाते और आधार कार्ड एवं इससे जुड़े पैन कार्ड, खाता संख्या आदि का विवरण पेश करने पर कर ही करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य में एक खराब प्रचलन है जिसके तहत भार ढोने वाले श्रमिकों के संगठन मसलन सीटू और एटक को उनकी मांग के आधार पर रकम का भुगतान करना पड़ता है, भले ही कोई व्यक्ति खुद ही अपना माल उतारने-चढ़ाने का इंतजाम करता है। इस मामले में इमारती लकड़ी के एक कारोबारी ने अपने सामान को उतारने के लिए एक मेकेनाइज्ड क्रेन को मंगाया लेकिन श्रमिक संगठन ने भारवाहक श्रमिकों द्वारा कोई काम न कराए जाने पर भी अत्यधिक दरों की मांग की। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है और इसे 'नोक्कूकूली' कहते हैं जिसका अर्थ यह होता है कि सिर्फ माल चढ़ाने की प्रक्रिया को देखने का शुल्क। व्यापारी ने उच्च अदालत में गुहार लगाई जिस पर अदालत ने नियोक्ताओं पर इस तरह की अनिवार्यता पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने पुलिस को यह निर्देश दिया कि भार ढोने वाले श्रमिको की जगह क्रेन या किसी दूसरे मेकेनिकल उपकरणों के कामों में जो लोग बाधा डालते हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। इस मामले में गिरफ्तार लोगों को केवल उच्च न्यायालय से ही जमानत मिल सकती है।